

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

सं०सं० 18(प्र०को०)/ए०सी०पी०-01-03/2017-234(प्र०को०) /स्वा०, पटना दिनांक : 19.9.18

डा० उमाशंकर पाठक, सेवानिवृत्त निदेशक(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की सेवा अवधि दिनांक 03.06.1999 से 03.05.2001 तक अनिर्णित एवं कार्य सम्पादन पर रोक रहने के कारण विभागीय अधिसूचना सं० 191(प्र०को०) दिनांक 21.11.2017 द्वारा इस अवधि के बाद दिनांक 04.05.2001 के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० की स्वीकृति प्रदान की गई थी । उक्त अनिर्णित सेवा अवधि पर निर्णय उपरान्त उक्त अवधि का वेतन भुगतान किया जा चुका है ।

अतः विभागीय अधिसूचना सं० 191(प्र०को०) दिनांक 21.11.2017 द्वारा स्वीकृत प्रथम ए०सी०पी० की देय तिथि 04.05.2001 को संशोधित करते हुए उक्त अधिसूचना क्रमांक-4 के स्तम्भ-6 में अंकित प्रथम ए०सी०पी० की देय तिथि 04.05.2001 के स्थान पर देय तिथि 09.08.1999 किया जाता है ।

2. अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगे ।

ह०/—

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 18(प्र०को०)/ए०सी०पी०-01-03/2017-234(प्र०को०)स्वा०, पटना, दिनांक : 19.9.18
प्रतिलिपि— महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना /वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि— संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि— संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि— डा० उमाशंकर पाठक, सेवानिवृत्त निदेशक(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना । पत्राचार पता—चर्च रोड, बेटिया, प० चम्पारण, पिन-845438 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि— प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3 एवं 9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि— आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

19/9/18

सरकार के अवर सचिव
सिन्हा